

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार ॥ अनु-3॥ विभाग

क्रमांक प. 0॥ 24॥ पु. सु. / अनु-3/89

जयपुर, दिनांक: 9.9.2005

:: आज्ञा ::

विषय :- जन्म-मृत्यु पंजीयन सम्बन्धी कार्य की देखरेख हेतु समिति

इस विभाग की समसदस्य आज्ञा दिनांक 17.7.89 द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन सम्बन्धी कार्य की देखरेख करने तथा समय-समय पर तद्विषयक सुझाव देने के लिए गठित अन्तर्विभागीय समिति का निम्न प्रकार पुनर्गठन किए जाने की प्रस्तावित राजस्थान प्रबोदया एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।


- | | |
|--|------------|
| 1. शासन सचिव, आयोजना | अध्यक्ष |
| 2. शासन सचिव, शिक्षा या उनका प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य या उनका प्रतिनिधि। | सदस्य |
| 4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन या उनका प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग या उनका प्रतिनिधि। | सदस्य |
| 6. आयुक्त, पंचायती राज विभाग या उनका प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7. शासन सचिव, गृह विभाग या उनका प्रतिनिधि | सदस्य |
| 8. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास या उनका प्रतिनिधि। | सदस्य |
| 9. महारजिस्ट्रार एवं जन्मणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि। | सदस्य |
| 10. निदेशक, जन्मणना कार्य निदेशालय, राजस्थान | सदस्य |
| 11. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बिकानेर | सदस्य |
| 12. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिकानेर | सदस्य |
| 13. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ॥ आई.ई.सी. ॥ विभाग। | सदस्य |
| 14. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | सदस्य |
| 15. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग | सदस्य |
| 16. निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग | सदस्य |
| 17. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग | सदस्य |
| 18. निदेशक, मृदुण एवं लेखन सामग्री विभाग | सदस्य |
| 19. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग | सदस्य सचिव |

यह समिति स्थाई होगी एवं स्थाई समिति का कार्य निम्न प्रकार से होगा :-

1. जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम की क्रियान्विति की समय-समय पर समीक्षा करना।
2. सम्बन्धित विभागों में प्रभावी समन्वय स्थापित करना, ध्यान में आने वाली कठिनायियों तथा असुक्तियों को दूर करते हुए उपाय सुझाना।


3. समय-समय पर शासन को अपनी सिफारिशों से अवगत कराना ।
4. जन्म मृत्यु के कार्य की देखरेख हेतु एक वर्ष में कम से कम दो बार समिति की बैठक करवाकर प्रभावी मोनिटरिंग करना । इस समिति का प्रशासनिक विभाग आयोजना ग्रुप-18 विभाग होगा ।

आता से,


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महासचिव राज्यपाल मन्दीर/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री मन्दीर, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव ।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशेष शासन सचिव ।
4. समस्त सदस्य/समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ।
5. निजी सचिव, समस्त मंत्रालय ।
6. उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन/मंत्रिमण्डल ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ।
8. उप शासन सचिव, आयोजना ग्रुप-18 विभाग को उनकी असा0टीप संख्या प-15/18सां/2005 दिनांक 30.8.2005 के सन्दर्भ में आता की अतिरिक्त प्रतियाँ समस्त सम्बन्धित को वितरण हेतु प्रेषित है ।


संभालाधिकारी

नोट :- इस समिति से सम्बन्धित समस्त पत्र व्यवहार कृपया आधिकारिक विभाग से ही करें ।

नरेन/